रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042024-253851
CG-DL-E-25042024-253851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1706] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 5, 1946**
No. 1706] **NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 5, 1946**

गृह मंत्रालय
(स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

का.आ. 1798(अ).—केंद्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. का.आ. 1331 (अ), तारीख 7 जून, 2021 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, निम्नलिखित को नियुक्त करती है, जो:-

(क) संपूर्ण देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलक्टर या उपायुक्त उनके अपने-अपने जिलों की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए शत्रु संपत्ति के पदेन उप अभिरक्षक के रूप में कार्य करेंगे;

(ख) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व), केंद्रीय जिला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, शत्रु संपत्ति के पदेन उप अभिरक्षक के रूप में कार्य करेगा;

(ग) मुंबई, कोलकाता और लखनऊ में अवस्थित शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के शाखा कार्यालयों में तैनात उप सचिव संबंधित कार्यालयों की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए शत्रु संपत्ति के पदेन उप अभिरक्षक के रूप में कार्य करेंगे;

(घ) संबंधित उप प्रभाग की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए उप प्रभाग मजिस्ट्रेट या जिले का समकक्ष पदधारक शत्रु संपत्ति के पदेन सहायक अभिरक्षक के रूप में कार्य करेगा;

(ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में संबंधित तहसीलों में तहसीलदार या समकक्ष पदधारी उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले संबंधित क्षेत्रों के लिए पदेन शत्रु संपत्ति के पदेन निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा।

2. सभी उपर्युक्त पदधारी शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक के निदेशों और अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे ।

[फा. सं. 38/2/2024-ईपी]

अनंत किशोर सरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Freedom Fighter and Rehabilitation Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2024

S.O. 1798(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 and Section4 of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968) and in supersession of notification number S.O.1331(E) dated 7th June,2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints-

a. District Magistrates, the District Collector, or, as the case may be, the Deputy Commissioners of all the States and the Union Territories across the country to act as ex-officio Deputy Custodian of Enemy Property for the areas falling within the Jurisdiction of their respective districts;

b. Additional District Magistrate (Revenue), Central District of the National Capital Territory of Delhi, to act as ex-officio Deputy Custodian of Enemy Property for the areas falling within the National Capital Territory of Delhi;

c. Deputy Secretaries posted in the branch offices of the Custodian of Enemy Property located in Mumbai, Kolkata, and Lucknow to act as ex-officio Deputy Custodian of Enemy Property for the areas falling within the jurisdiction of the respective offices;

d. Sub-Divisional Magistrate or equivalent post of the district, to act as ex-officio Assistant Custodian of Enemy Property for the areas falling within the jurisdiction of the respective sub-division; and

e. Tahsildar or equivalent post held in respective tehsils in the States and Union Territories to act as ex-officio Inspector of Enemy Property for the respective areas falling within their respective jurisdiction.

2. All the above officials shall act under the directions and superintendence of the Custodian of Enemy Property for India, while discharging their duties under the Enemy Property Act, 1968.

[F. No. 38/2/2024-EP]

ANANT KISHORE SARAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.25 21:08:40 +05'30'